भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 2012

एफ नं. 13-2-1986-सात(4बी).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख और बंदोबस्त, तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा के की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-अभिलेख और बंदोबस्त, तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2012 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आयुक्त, भू-अभिलेख और बंदोबस्त, मध्यप्रदेश;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची चार के कॉलम (6) के अधीन गठित समिति;

(घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है नियम 11 के अधीन सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा;

(ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल,

(छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85 पच्चीस-4-34, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख और बंदोबस्त, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

... लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची-एक में यथा उल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात् :—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलरूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गए हों; और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—(1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए उपबंधों के अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) सेवा के सदस्य, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24-1-2008 के प्रावधानों के अनुसार वेतनमान के समयमान वेतनमान प्राप्त करने के हकदार होंगे.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा या प्रतियोगी परीक्षा द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार के अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए पदों की संख्या के अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जैसी कि भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने की अपेक्षा की जाए, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से, अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें.—चयन/परीक्षा के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) आयु—(क)(एक) उसने परीक्षा/चयन प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु से अधिक का न हो;

(दो) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने कि विवाह हेतु नियत न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

(तीन) ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियो में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिकबार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा की रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्शेसन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर,

सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रितियों के विरुद्ध छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो आदि.

(घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ङ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) उन अभ्यर्थियों के लिए जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, सामान्य उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी.

(ञ) नगर सेना (होमगार्ड्स) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नॉन कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई संपूर्ण सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा, आठ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(ट) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

टिप्पणी.—(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8(1)(ग)(एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् वे परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके बाद सेवा से त्याग-पत्र देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे. अन्य किसी भी मामले में यह आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी.

टिप्पणी.—(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त करनी होगी.

(2) शैक्षणिक अर्हता—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में दर्शाई गई सेवा के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए :

परन्तु—

(क) आपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए पात्र ठहराती हों; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित होने पर भी विचार किया जा सकेगा.

(3) फीस.—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. निरर्हता—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा .

(3) कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी पद या सेवा के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, परन्तु जहां ऐसा मामला अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में लंबित है, उसकी नियुक्ति का मामला न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जाएगा.

(5) कोई अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी दो जीवित पत्नियां हों तथा कोई ऐसी महिला अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी यदि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो.

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी विनिश्चय अंतिम होगा.—चयन/परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.—(1) (एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से, समय-समय पर, अवधारित करे.

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी, जैसे कि सरकार, समय-समय पर, जारी करे.

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें चयन समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो ...: नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा.

(9) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्तियां राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और रिक्तियां यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अगले चयन के लिये आरक्षित रखी जाएंगी.

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुये चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सूची से उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये, उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) चयन सूची उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी.

13. परिवीक्षा—सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति, को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों का प्रारम्भिक चयन करने हेतु अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य से मिलकर बनने वाली एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी :

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य से भिन्न नामनिर्देशित किए गए अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी.

(2) अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए उसके कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

(3) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन.**—प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निदेश दें, किन्तु साधारणतः एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

15. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.**—(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है या अनुसूची-चार के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए गए अन्य पद या पदों पर, [illegible] की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हो :

परन्तु आपात आयोग तथा लघु सेवा आयोग के उन्मुक्त अधिकारियों की सेवाएं, सेवा में उनकी नियुक्ति के साथ-साथ उस तारीख से संगणित की जाएंगी, जिस तारीख से वे सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266-1983 (3)(6) दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार, सेवा में नियुक्त समझे गए हैं :

परन्तु यह और कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति से अधिमान देने के पश्चात्, चयन/पदोन्नति देने हेतु विचार केवल इस आधार पर ही नहीं किया जाएगा कि उसने विहित सेवा अवधि पूर्ण कर ली है.

स्पष्टीकरण—पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.—(1) सुसंगत वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कलैण्डर वर्ष से की जाएगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी.

(2) पदोन्नति हेतु विचारण क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त समझे गए हों. यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों की पूर्ति के लिए उक्त चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों से मिलकर एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी.

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार होंगे.

(3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पद में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण.—कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के आधार पर ही उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा.

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

(5) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी.

17. चयन सूची.—(1) नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि वह उसमें कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में समिति को सूचित करेगा और टिप्पणियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, जो समिति की राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, ऐसे उपांतरणों के साथ सूची को अनुमोदित कर सकेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियां सेवा के सदस्यों के अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शित पद से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में दर्शित पद पर पदोन्नति हेतु चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची जब तक कि नियम 17 के उपनियम (4) के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, प्रवृत्त रहेगी किन्तु ऐसी सूची की विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किए गए किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के अनुपालन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति यदि उचित समझे, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पद पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जाएंगी जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों.

19. परिवीक्षा.—पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

20. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

21. शिथिलीकरण.—इन नियमों में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामलों में, जिसे ये नियम लागू होते हों, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे उचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती हो :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

22. व्यावृत्ति.—इन नियमों में की गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. निरसन.—ऐसे समस्त नियम तथा आदेश जो इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पिड़िहा, उपसचिव.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु-क्रमांक (1)	पदनाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	अभ्युक्तियां (6)
1	वरिष्ठ सहायक सांख्यिकी अधिकारी/ पर्यवेक्षक फसल प्रयोग/ अनुसंधान सहायक	55	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक एवं तकनीकी)	पे बैंड 2 रु. 9300-34800+3600	-
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	31	--तदैव--	पे बैंड 2 रु. 9300-34800+3600	-
3	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख संवर्ग	280	--तदैव--	पे बैंड 2 रु. 9300-34800+3200	-
4	मुख्य संगणक	03	--तदैव--	पे बैंड 1 रु. 5200-20200+2800	-
5	मुख्य मानचित्रकार	01	--तदैव--	पे बैंड 1 रु 5200-20200+2800	-
6	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी	04	--तदैव--	पे बैंड 1 रु. 5200-20200+2800	-
7	राजस्व निरीक्षक/नजूल संधारण/आपरीक्षक भू-मापक/नजूल सर्वेयर 2136+27	2163	--तदैव--	पे बैंड 1 रु. 5200-20200+2400	-
8	पटवारी	11622	--तदैव--	पे बैंड 1 रु. 5200-20200+2100	-
9	पारगामी	08	--तदैव--	पे बैंड 1 रु. 5200-20200+2400	-
10	मानचित्रकार	83	--तदैव--	पे बैंड 1 रु. 5200-20200+2400	-
11	संगणक (सर्वे)	11	--तदैव--	पे बैंड 1 रु. 5200-20200+2100	-
12	संगणक (सांख्यकीय)	52	--तदैव--	पे बैंड 1 रु. 5200-20200+2100	-
13	[illegible]	166	--तदैव--	पे बैंड 1 रु. 5200-20200+[illegible]	-
14	सहायक प्रोग्रामर	35	--तदैव--	पे बैंड 2 रु. 9300-34800+3600	-
15	मशीन आपरेटर	01	--तदैव--	पे बैंड 1 रु. 5200-20200+[illegible]	-
16	डाटा एन्ट्री आपरेटर	81	--तदैव--	पे बैंड 1 रु. 5200-20200+2400	-
17	जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर	453	--तदैव--	पे बैंड 1 रु. 5200-20200+[illegible]	-

नोट :--ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसा अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के आदेश क्र. एफ-2-6 वे.आ.प्र./96 दिनांक 5, 17-10-2006 के अनुसार वेतनमान में आवश्यक संशोधन कर लिया गया है.

अनुसूची–दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशता		अन्य सेवाओं से	अभ्युक्ति
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	स्थानान्तरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राजस्व विभाग.	मध्यप्रदेश भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक एवं तकनीकी सेवा).	1. वरिष्ठ सहायक सांख्यिकी अधिकारी/ पर्यवेक्षक फसल प्रयोग/ अनुसंधान सहायक	55	–	100%	–	–
		2. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	31	25% लोक सेवा आयोग के माध्यम से	75%	–	–
		3. सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख संवर्ग	280	25% लोक सेवा आयोग के माध्यम से	75%	–	–
		4. मुख्य संगणक	03	–	100%	–	–
		5. मुख्य मानचित्रकार	01	–	100%	–	–
		6. वरिष्ठ श्रेणी पारगामी	04	–	100%	–	–
		7. राजस्व निरीक्षक, 2136 नजूल अनुरक्षण/सर्वेक्षक/मापकर्ता/ नजूल सर्वेक्षक 2136+27=2163	2163	25%	70% पटवारी से, 1.5% गणक सर्वे से, 3.5% अनुरेखक से	–	पटवारी, संगणक सर्वे तथा ट्रेसर (अनुरेखक) के लिए राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति राजस्व निरीक्षक परीक्षा उत्तीर्ण अपेक्षित है.
		8. पटवारी	11622	100%	–	–	–
		9. पारगामी	8	100%	–	–	–
		10. मानचित्रकार	83	50%	50%	–	–
		11. संगणक (सर्वे)	11	100%	–	–	–
		12. संगणक (सांख्यिकी)	52	75%	25%	–	विभाग के ऐसे सहायक ग्रेड–3 जिनकी कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो तथा वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, समाज शास्त्र, कृषि में से किसी एक विषय में स्नातक उपाधि हो.
		13. अनुरेखक	166	100%	–	–	–
		14. सहायक प्रोग्रामर	35	75%	25%	–	–
		15. मशीन आपरेटर	1	–	100%	–	–
		16. डाटा एन्ट्री आपरेटर	81	–	100%	–	–
		17. जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर	453	100%	–	–	–

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	पदनाम (3)	न्यूनतम आयु (4)	अधिकतम आयु (5)	शैक्षणिक अर्हता (6)	अन्य (7)
राजस्व	मध्यप्रदेश भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक एवं तकनीकी सेवा).	1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या गणित या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या कृषि में स्नातक उपाधि.	
		2. सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि.	
		3. राजस्व निरीक्षक नजूल आनुरक्षण/सर्वेक्षक/मापकर्ता नजूल सर्वेक्षण.	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण तथा सर्वे में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा.	
		4. पारगामी	21 वर्ष	35 वर्ष	—तदैव—	
		5. मानचित्रकार	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण और आई.टी.आई. से सिविल में डिप्लोमा के साथ 5 वर्ष का अनुभव/पोलीटेकनिक से सिविल में डिप्लोमा.	
		6. संगणक (सर्वे)	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से गणित विषय के साथ हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल (10+2) शिक्षा पद्धति से उत्तीर्ण तथा स्नातक डिग्री.	
		7. संगणक (सांख्यिकी)	18 वर्ष	35 वर्ष	गणित या अर्थशास्त्र या वाणिज्य या कृषि में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि.	
		8. अनुरेखक	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति से उत्तीर्ण, इण्टरमीडिएट ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण या आई.टी.आई. से ड्रेसर/मानचित्रकार का डिप्लोमा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		9. सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	35 वर्ष	(क) कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि. या (ख) भौतिक/गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/आपरेशन रिसर्च में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साफ्टवेयर योजना के संचालन तथा संधारण का दो वर्ष का अनुभव. (ग) कम्प्यूटर साईंस में बी.एस.सी. तथा साफ्टवेयर परियोजना के संचालन तथा संधारण का दो वर्ष का अनुभव. या (घ) भौतिक/गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र में बी.एस.सी./कम्प्यूटर साईंस में या तो स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ आपरेशन रिसर्च में एक वर्ष का अनुभव या साफ्टवेयर योजना के संचालन तथा संधारण में दो वर्ष का अनुभव.	
		10. पटवारी	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण + किसी संस्था जो कि यू.जी.सी. से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित/पंजीकृत/मान्यताप्राप्त संबद्ध संस्था हो से एक वर्षीय कम्प्यूटर एपलीकेशन में डिप्लोमा या डीओईऐसीसी/आईईटीई से ओ लेवल प्रमाण–पत्र.	
		11. जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण + डीओईऐसीसी/आईईटीई से ए लेवल डिप्लोमा या यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित/पंजीकृत/मान्यताप्राप्त संबद्ध संस्था से कम्प्यूटर साईंस विषय के साथ पीजीडीसीए/बीसीए/बी.एस.सी. या राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पंजीकृत या संबद्ध किसी पालिटेक्निक संस्था (महाविद्यालय से कम्प्यूटर/सूचना प्रोद्योगिकी/इलेक्ट्रानिक या उच्च शिक्षा विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा.	

25

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की की जानी है	पदोन्नति हेतु सेवा के वर्षों की संख्या	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
[illegible] विभाग	मध्यप्रदेश भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक एवं तकनीकी सेवा).	1. राजस्व निरीक्षक नजूल अनुरक्षण/ सर्वेक्षक/मापकर्ता/ नजूल सर्वेक्षक/ मानचित्रकार/ पारगामी	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	5 वर्ष	1. प्रमुख सचिव (राजस्व)—अध्यक्ष 2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश—सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का प्रथम श्रेणी का एक नामनिर्दिष्ट अधिकारी—सदस्य 4. स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी—सदस्य-सचिव	
		2. पटवारी/ संगणक (सर्वे)/ राजस्व निरीक्षक अनुरेखक (जिसने राजस्व निरीक्षक की परीक्षा पास की है)	राजस्व निरीक्षक	5 वर्ष	1. संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक (वित्त एवं लेखा)—सदस्य 3. उप आयुक्त, भू-अभिलेख (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के)—सदस्य 4. स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी—सदस्य-सचिव	
		3. संगणक (सर्वे)	मुख्य संगणक	5 वर्ष	1. संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक (वित्त एवं लेखा)—सदस्य 3. उप आयुक्त, भू-अभिलेख (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के)—सदस्य 4. स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी—सदस्य-सचिव	
		4. पारगामी	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी	5 वर्ष	1. संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक (वित्त एवं लेखा)—सदस्य 3. उप आयुक्त, भू-अभिलेख (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के)—सदस्य 4. स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी—सदस्य-सचिव	
		5. मानचित्रकार	मुख्य मानचित्रकार	5 वर्ष	1. संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख—अध्यक्ष 2 संयुक्त संचालक (वित्त एवं लेखा)—सदस्य 3. उप आयुक्त, भू-अभिलेख (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के)—सदस्य 4. स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी—सद[illegible]चिव	

26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		6. अनुरेखक	मानचित्रकार	5 वर्ष	1. संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक (वित्त एवं लेखा)—सदस्य 3. उप आयुक्त, भू-अभिलेख (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के)—सदस्य 4. स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी—सदस्य-सचिव	
		7. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	वरिष्ठ सहायक सांख्यिकी अधिकारी/ पर्यवेक्षक फसल प्रयोग/ अनुसंधान सहायक	5 वर्ष	1. संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक (वित्त एवं लेखा)—सदस्य 3. उप आयुक्त, भू-अभिलेख (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के)—सदस्य 4. स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी—सदस्य-सचिव	
		8. संगणक (सांख्यिकी)	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	10 वर्ष	1. संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक (वित्त एवं लेखा)—सदस्य 3. उप आयुक्त, भू-अभिलेख (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के)—सदस्य 4. स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी—सदस्य-सचिव	
		9. डाटा एन्ट्री आपरेटर/ मशीन आपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	7 वर्ष का भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण कार्य का अनुभव	1. संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक (वित्त एवं लेखा)—सदस्य 3. उप आयुक्त, भू-अभिलेख (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के)—सदस्य 4. स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी—सदस्य-सचिव	
		10. जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर	डाटा एन्ट्री आपरेटर/ मशीन आपरेटर	5 वर्ष का भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण कार्य का अनुभव	1. संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख—अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक (वित्त एवं लेखा)—सदस्य 3. उप आयुक्त, भू-अभिलेख (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के)—सदस्य 4. स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी—सदस्य-सचिव	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पिड़िहा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2012

एफ नं. 13-2-1986-सात(4बी).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पिड़िहा, उपसचिव.